

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(9)नविवि/जालोर/2022


जयपुर दिनांक: 30/03/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने जालोर के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को एतद्वारा नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	जालोर	JALORE	जालोर
2.	लेटा	LETA	जालोर
3.	सरदारगढ़	SARDARGARH	जालोर
4.	सामतीपुरा	SAMTIPURA	जालोर
5.	महेशपुरा	MAHESHPURA	जालोर
6.	धवला	DHAWALA	जालोर
7.	मादलपुरा	MADALPURA	जालोर
8.	भागली सिंधलान	BHAGLI SINDHLAN	जालोर
9.	धानपुर	DHANPUR	जालोर
10.	सांकरणा	SANKARNA	आहोर
11.	रतनपुरा	RATANPURA	आहोर

राज्यपाल की आज्ञा से


30/3/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, जालोर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद्, जालोर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालयी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय